न्यायालय न्यायाधीश, मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1)
तिजारा, जिला खैरथल तिजारा, राज.

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार शर्मा, आरजेएस.
––जिला न्यायाधीश संवर्ग

क्लेम याचिका संख्या : 15/ 2020 (CIS No-MACT Main/15/2020)

1. धोलीदेवी पत्नी जगदीश, उम्र करीब 44 साल
2. जगदीश पुत्र छोटूराम, उम्र करीब 46 साल निवासीयान सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राज.

——प्रार्थीगण/क्लेमेंट

बनाम्

1. पवन कुमार शर्मा पुत्र हरिप्रसाद निवासी डागरवाडा थाना राजगढ, जिला अलवर राज.
   –चालक वाहन मारूति कार रजि. नं आरजे 02 सी.ई–5957
2. अशोक कुमार सैनी पुत्र गोकुल राम सैनी, निवासी माली मौहल्ला राजगढ, जिला अलवर
   –मालिक वाहन मारूति कार रजि. नं आरजे 02 सी.ई–5957
3. न्यु इंडिया इन्श्यारेंस कं.लि. जरिये शाखा प्रबंधक एम जी मोटर्स तिजारा रोड अलवर, जिला अलवर
   ——बीमाकर्ता वाहन मारूति कार रजि. नं आर.जे 02 सी.ई–5957

——अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान

''**क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 एम वी एक्ट**''

उपस्थित :–

1. श्री पुरूषोत्तम सैनी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते क्लेमेंण्ट/प्रार्थीगण
2. श्री इन्द्रपाल कसाणा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री अजय भास्कर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते बीमा कंपनी/अप्रार्थी संख्या 3

–: निर्णय :– **दिनांक : 17, अप्रेल, 2026**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 166 एम. वी. एक्ट के तहत दिनांक 28.07.2020 को मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, तिजारा के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

2. क्लेम याचिका के तथ्यों के अनुसार दिनांक 28.07.2020 को प्रदीप निवासी सालखर जो ग्राम पलासला से कोटकासिम रोड से अपने घर वापस मोटरसाईकिल से अपने जीजा हरज्ञान के साथ आने पर गोठडा से पहले धर्मपाल के बोर के पास हरज्ञान न मोटरसाईकिल को अपनी साइड में खडी करके हरज्ञान पेशाब करने के लिए चला गया था व प्रदीप मोटरसाईकिल के पास खडा कि तभी एक मारूति कार को तेज गति वे लापरवाही से सामने से चलाता हुआ आया और मेरे पुत्र के टक्कर मार दी टक्कर लगने ही मेरा पुत्र के सिर व शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आयीं, मौके से चालक अपनी गाडी लेकर फरार हो गया, प्रदीप को उसका जीजा व अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचा जहां उसकी हालत खराब होने से गंभीर होने की वजह से किशनगढबास से प्रदीप को इलाज हेतु अलवर रैफर कर दिया, जहां सोलंकी अस्पताल में दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना गैरसायल संख्या 1 की लापरवाही से वाहन चलाने के कारण कारित की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/2020 थाना तिजारा में दर्ज करायी, जिसमें अनुसंधान पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आरोपपत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, प्रार्थीगण ने मृतक की मृत्यु होने पर कुल 1,26,90,000/–रूपये मय ब्याज क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जबाव में क्लेम याचिका के अधिकांश तथ्यों से इंकारी करते हुए प्रश्नगत **वाहन मारूति कार रजि. नं. आर. जे 02 सी.ई–5957** से किसी प्रकार की दुर्घटना होने से इंकार किया है एवं पुलिस से साज–बाज होकर एफआईआर. दर्ज कराना, प्रतिकर राशि बढा–चढाकर अंकित करना अभिकथित करते हुए क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाव पेश कर क्लेम याचिका में अधिकांश तथ्यों से इंकारी करते हुए वक्त दुर्घटना बीमा कंपनी के यहां प्रश्नगत वाहन का बीमित नहीं होना बताते हुए चालक की किसी प्रकार की गलती व लापरवाही होना नहीं बताया व प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराया जाना अभिकथित किया है। प्रश्नगत वाहन का चालक के पास परमिट नहीं था एवं रिपोर्ट 5 दिन देरी से दर्ज करायी गयी है। अतः जबाव क्लेम याचिका मय हर्जा, खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

5. पक्षकारान के उक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया अप्रार्थी सं.1 पवन कुमार शर्मा ने दिनांक 25.01.2020 को समय करीब दोपहर 1.30 बजे किशनगढबास–कोटकासिम सडक पर गोठडा से पहले धर्मपाल के बोर के पास वाहन मारूति कार रजि. नं आरजे 02 सीई–5957 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसमें प्रदीप के गंभीर चोटें आयीं, जिन चोटों के कारण प्रदीप की मृत्यु कारित हो गयी ?

——प्रार्थीगण

2. आया अप्रार्थी संख्या 1 चालक वाहन मालिक अप्रार्थी सं.2 के नियोजन में कार्य कर रहा था और नियोजनकाल में ही दुर्घटना कारित हुई एवं दुर्घटना के वक्त प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 3 के पास बीमित था ?

—— प्रार्थीगण

3. आया विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित अभिवचनों के प्रारंभिक एवं विशेष कथनों में उठायी गयी आपत्तियों के क्रम में उनका प्रतिकर अदायगी का दायित्व नहीं है?

——अप्रार्थी

4. आया दावेदार अपने दावे में अंकित प्रश्नगत राशि अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकता है तो कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

—— प्रार्थीगण

5. अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर से अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में गवाहान एड.1 जगदीश एवं पीड.2 हरज्ञान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गयी, दस्तावेजी साक्ष्य में चार्जशीट प्रदर्श–1 एफआईआर प्रदर्श–2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–3, पंचनामा प्रदर्श–4,रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श–5, सिटी स्केन प्रदर्श–6, फर्द नक्शा मौका प्रदर्श–7, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श–8, नोटिस धारा 133 प्रदर्श–9 जब्त कागजात वाहन मारूति कार आर.सी प्रदर्श–10, फर्द जती कार अल्टो प्रदर्श– 11, चालक लाईसैंस पवन प्रदर्श–12, आर सी वाहन अल्टो प्रदर्श–13 बीमा प्रदर्श–14, मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–15 व 16, फोटो प्रति राशनकार्ड प्रदर्श–17 फोटो प्रति जनाधार कार्ड प्रदर्श–18, फोटो प्रति आधार कार्ड की प्रति. प्रदर्श–19, फोटो प्रति आधार कार्ड जगदीश प्रदर्श–20 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया

7. अप्रार्थीगण की ओर से अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालखर की अंकतालिका की प्रति

को प्रदर्श एनए.1 च लोक सूचना अधिकारी/अति. पुलिस अधीक्षक भिवाडी का पत्र प्रदर्श एनए. 2 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराया गया।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा तनकियात के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या– 1

आया अप्रार्थी सं.1 पवन कुमार शर्मा ने दिनांक 25.01.2020 को समय करीब दोपहर 1.30 बजे किशनगढबास–कोटकासिम सडक पर गोठडा से पहले धर्मपाल के बोर के पास वाहन मारूति कार रजि. नं आर.जे 02 सीई–5957 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसमें प्रदीप के गंभीर चोटें आयीं, जिन चोटों के कारण प्रदीप की मृत्यु कारित हो गयी ?

9. इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है, जिसमें प्रतिपक्षी कम–1 द्वारा दिनांक 28.07.2020 को प्रदीप निवासी सालार जो ग्राम पलासला से कोटकासिम रोडसे अपने घर वापस मोटरसाईकिल से अपने जीजा हरज्ञान के साथ आने पर गोठडा से पहले धर्मपाल के बोर के पास हरज्ञान न मोटरसाईकिल को अपनी साइड में खडी करके हरज्ञान पेशाब करने के लिए चला गया था व प्रदीप मोटरसाईकिल के पास खडा कि तभी एक मारूति कार को तेज गति वे लापरवाही से सामने से चलाता हुआ आया और मेरे पुत्र के टक्कर मार दी टक्कर लगने ही मेरा पुत्र के सिर व शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आयीं, मौके से चालक अपनी गाडी लेकर फरार हो गया प्रदीप को उसका जीजा व अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचा जहां उसकी हालत खराब होने से गंभीर होने की वजह से किशनगढबास से प्रदीप को इलाज हेतु अलवर रैफर कर दिया जहां सोलंकी अस्पताल में दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–20 दस्तावेजात को पेश कर चिन्हित कराया गया है।

10. प्रार्थीगण की उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिस हेतु एफ.आई. आर. दर्ज होने पर पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से प्रार्थी सं.1 पवन कुमार शर्मा ने दिनांक 25.01.2020 को समय करीब दोपहर 1.30 बजे किशनगढबास–कोटकासिम सडक पर गोठडा से पहले धर्मपाल के बोर के पास वाहन मारूति कार रजि. नं आर.जे 02 सीई–5957 को तेजी व लापरवाही से

चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसमें प्रदीप के गंभीर चोटें आयीं, जिन चोटों के कारण प्रदीप की मृत्यु कारित हो गयी। अतः यह तनकी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित पायी जाती है।

तनकी संख्या – 02

आया अप्रार्थी संख्या 1 चालक वाहन मालिक अप्रार्थी सं.2 के नियोजन में कार्य कर रहा था और नियोजनकाल में ही दुर्घटना कारित हुई एवं दुर्घटना के वक्त प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 3 के पास बीमित था ?

11. इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 9 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने दुर्घटना की दिनांक को अपने वाहन मारूति कार पर अप्रार्थी संख्या 1 का चालक होना कथन किया है। प्रदर्श 13 प्रश्नगत वाहन की आर सी है, जिसमें वाहन संख्या मारूति कार रजि. नं आरजे 02 सी ई–5957 का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 अंकित है। प्रदर्श 12 अप्रार्थी संख्या 1 का चालक अनुज्ञापत्र है। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने वाहन को लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है व वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को चालक होना स्वीकार किया है। अतः यह तनकी प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते हैं।

<u>तनकी संख्या– 03</u>

आया विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित अभिवचनों के प्रारंभिक एवं विशेष कथनों में उठायी गयी आपत्तियों के क्रम में उनका प्रतिकर अदायगी का दायित्व नहीं है?

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी बीमा कंपनी पर है अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से अपने जबाव क्लेम याचिका में कई आपत्तियां उठायी गयी हैं, जिन आपत्तियों के संबंध में बीमा कंपनी ने अपने जबाव में रिपोर्ट 5 दिन देरी से दर्ज कराना कथन किया है, किंतु यह स्वाभाविक है कि जब मृतक की मृत्यु होने पर शोक संतृप्त परिवार को संभलने में भी करीब एक सप्ताह लग ही जाता है, संभलने पर उनके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श 1 दर्ज करायी

गयी है व बाद जांच आरोपपत्र भी पेश किया गया है। जिससे प्रार्थीगण का देरी का उचित कारण होना प्रतीत होता है बीमा कंपनी की आपत्ति आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अतः केवलमात्र तकनीकी कारणों से विधायिका द्वारा बनाये गये हितकारी लाभों से प्रार्थीगण को वंचित नहीं किया जा सकता। अतः यह विवाद्यक अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी संख्या– 04</u>

आया दावेदार अपने दावे में अंकित प्रश्नगत राशि अन्य कोई न्याय राशि पास सकते हैं, हां तो कौन–2 दावेदार कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ?

13. इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर है, जिसके संबंध में मृतक की आयु व आय को देखना है। प्रार्थी पक्ष ने मृतक की आयु क्लेम याचिका में 19 साल बतायी है, पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–8 में भी मृतक की 20 साल की आयु का उल्लेख है, किंतु प्रार्थीगण द्वारा मृतक का प्रस्तुत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदर्श एनए.1 जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालखर की ओर से जारी किया गया है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 25.09.2004 अंकित होने को पूर्ण रूप से सही मानते हुए मृतक वक्त दुर्घटना करीब 18 साल से कम होने पर व 15 साल से अधिक की आयु होने का तथ्य सामने आता है, ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टांत सरलमा वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कं. व हितेश नागभाई पटेल बनाम बाबाभाई नागाभाई रेवानी व अन्य 2025 लाइव लॉ एस सी 871 में 15 साल से अधिक व 25 साल से कम आयु पर 18 के गुणक की व्यवस्था दी गयी है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में मृतक की क्षतिपूर्ति आय हेतु 18 के गुणक का प्रयोग किया जायोगा।

<u>आय की क्षति–</u>

14. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से कथन किया है कि मृतक अविवाहित था व व उसके द्वारा दुग्ध व्यापार व खेती के कार्य से 20,000/–रूपये कमा लेना बताया है, किंतु आय को साबित करने हेतु प्रार्थी पक्ष की ओर से किसी प्रकार की मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में मृतक को एक कुशल श्रमिक के रूप में माना जाकर उसकी आय का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य

सरकार की अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना तिथि 25.01.2020 को मृतक की आय 6474/–रूपये प्रतिमाह अभिनिर्धारित की जाती है।

भविष्यवर्ती आय की क्षति–

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी–सिविल नं 25540/2014 नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी वगैरह निर्णय दिनांक 31.10.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस मद के पेटे प्रार्थीगण को मृतक की आय का 40 प्रतिशत राशि अर्थात कुल मासिक आय 2590/–रूपये भविष्यवर्ती आय पेटे दिलाया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। इस प्रकार मृतक की मासिक आय 9064/–रूपये अभिनिर्धारित की जाती है।

व्यक्तिगत खर्च की कटौती–

16. क्लेम याचिका प्रस्तुति के समय मृतक के कुल आश्रितों की संख्या 2 है, जिसमें मृतक की मृत्यु प्रश्नगत वाहन मारूति कार रजि. नंबर आर जे 02 सीई–5957 के चालक द्वारा कार को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हो जाना प्राधिकरण के समक्ष आया है, जिससे ऐसे मामले में एसएलपी –सिविल नं 255402014 नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी वगैरह निर्णय दिनांक 31.10.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मृतक की आय में 1/2 हिस्सा की राशि 4532/–रूपये व्यक्तिगत खर्च के रूप में कटौती किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। उक्त कटौती के पश्चात मृतक की मासिक आय 4532/–रूपये बकाया रह जाती है, जो धनराशि आश्रितों के लिए ही शेष रहती है।

17. प्रार्थीगण जिनमें मृतक के माता –पिता हैं, जिनकी आश्रित आय के संबंध में क्षतिपूर्ति की कुल राशि 4532 X 12 X 18 = 9,78,912/–रूपये प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी–सिविल नं 25540/2014 नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी वगैरह निर्णय दिनांक 31.10.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राधिकरण की विनम्र राय में प्रार्थीगण को पुत्र की मृत्यु होने पर लाड प्यार व स्नेह से वंचित होने पर 40,000/–रूपये, सह व्यवस्था के नुकसान के रूप में 15,000/–रूपये दाह संस्कार के खर्च के रूप में 15,000/–रूपये कुल 70,000/–रूपये दिलाया जाना न्याय संगत पाया जाता है।

19. प्रार्थीगण इस प्रकार बतौर क्षतिपूर्ति अप्रार्थीगण से कुल राशि 10,48,912/–रूपये प्राप्त करने के अधिकारी होना पाये जाते हैं। यह विवाद्यक तद्नुसार प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या – 05 अनुतोष

20. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अतः उपरोक्त विवाद्यकों के निर्णय के अनुसार प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से कुल राशि 10,48,912/–रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

21. प्रार्थीगण न्यायिक दृष्टांत ए आई आर 2014 एस सी पेज 706 पुटम्मा वगैरह बनाम के आर नारायण रेड्डी वगैरह की रोशनी में एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से तावसूली 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

–पंचाट–

23. परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–2 रूप से क्षतिपूर्ति राशि 10,48,912/–रूपये (अक्षरे दस लाख, अडतालीस हजार, नौ सौ बारह रूपये) यचिका प्रस्तुति से ता–वसूली ब्याज 7.5 प्रतिशत प्रस्तुत करने के अधिकारी होंगे। प्रार्थीगण को उनकी सुरक्षा एवं भविष्य को देखते हुए राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाये :–

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता रूपये	मियादी/एफ.डी.आर रूपये
1.	धोलीदेवी, आयु 44 साल	2,48,912/– एवं समस्त ब्याज	(1) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. तीन वर्ष के लिए (2) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. पांच वर्ष के लिए (3) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. सात वर्ष के लिए
2	जगदीश, आयु 46 साल	2,00,000/– रूपये	(1) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. तीन वर्ष के लिए (2) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. पांच वर्ष के लिए (3) 1,00,000/–की एफ.डी. आर. सात वर्ष के लिए

24. न्यायाधिकरण की बिना अनुमति के उक्त मियादी खाते का परिपक्वता की तिथि से पूर्व भुगतान नहीं किया जाये, न ही इन पर कोई ऋण स्वीकृत किया जाये। उक्त राशि बीमा कंपनी प्रार्थीगण को नियमानुसार मय ब्याज अदा करेगी। प्रार्थीगण द्वारा यदि पूर्व में किसी प्रकार की अंतरिम सहायता राशि प्राप्त की हो तो वह इस राशि में समायोजित की जाये।

(विनोद कुमार शर्मा)

निर्णय आज दिनांक 17 अप्रेल, 2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(विनोद कुमार शर्मा)